न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल श्रृंखला भोपाल म0प्र0

R 1471-PB/17

पुनरीक्षण क्र0–

1–अकरम कुरेशी बल्द हमीद कुरेशी आयु–47 वर्ष

2–अंसार कुरेशी वल्द हमीद कुरेशी आयु–38 वर्ष दोनों निवासगण वार्ड क्र0–6 सिलवानी तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0।

श्री. उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा आज दि. 24-5-17 को कैम्प भोपाल में प्रस्तुत किया
24-5-17

....................................**पुनरीक्षणकर्तागण**

....**विरूद्ध**....................................

1–म0प्र0राज्य द्वारा तहसीलदार सिलवानी

2–मुख्य नगर पालिका अधिकारी ,नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0

....**अनावेदकगण**

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0स0

<u>पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक–11-5-17 पारित द्वारा माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल प्र0क्र0–17/अपील/16-/2017 अकरम कुरैशी आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि में पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त कर दी है से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है।</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1571–पीबीआर/17 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–6–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.5.17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में विस्तार से विवेचना करते हुये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण द्वारा उनके समक्ष असत्य आधारों पर न्यायालय को गुमराह करते हुये अपील निरस्त की गई । अतः उनके द्वारा अपील निरस्त की जाकर असत्य आधारों पर सहायता मांगने के कारण कार्यवाही में उपगत व्यय रुपये 10,000/– शासन के पक्ष में जमा कराने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	